18. लिंगभेदी एक पक्षीय कानूनों के अन्तर्गत चलने वाले मुकदमों से बरी हुए व्यक्तियों के उनके मुकदमा पूर्व के स्टेटस के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास का कानून बनाये जाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।

19. विचाराधीन बंदियों को ''न्यायिक अभिरक्षा'' में जेल की बजाय सम्मानजनक जगह पर रखे जाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
(न्यायिक अभिरक्षा में निर्दोषिता की अवधारणा के अनुरूप)

20. तीन तलाक बिल में पति की गिरफ्तारी का प्रावधान, हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।

21. कानून की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।

22. पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू कराये जाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जायेगा।

23. सभी न्यायालयों/थानों में सी.सी.टी.वी. लगाने व वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का **कानून** लागू करने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।

24. परपुरुष व परस्त्री सम्बन्ध दोनों को अपराध घोषित करने के **कानून** का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।

RESPECT "MAN & FAMILY"

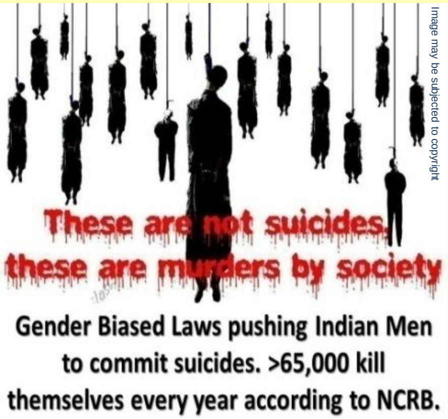

मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल

MERA ADHIKAAR RASHTRIYA DAL

(M.A.R.D.)

Party's MANIFESTO

घोषणा–पत्र

लोक सभा चुनाव –2019

1. संसद में लिंगभेदी एक पक्षीय कानूनों का विरोध करके इन्हें खत्म करने अन्यथा लिंगभेद रहित बनाने का प्रस्ताव लायेंगे।
2. "**पुरुष एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**" बनाये जाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
3. पुरुषों के स्वास्थ्य, शोषण, सुरक्षा आदि पर रिसर्च करने के लिए "**डाटा सेंटर**" की स्थापना करेंगे।
4. हम सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि बेटा-बेटी दोनों को पढ़ायेंगे।
5. नैतिक शिक्षा को कालेज स्तर तक अनिवार्य करेंगे।
6. झूठा मुकदमा लिखाने वाले व्यक्ति को स्वत: उतनी ही सजा, जितनी दोष सिद्धि पर अपराधी को मिलती है - का प्रस्ताव संसद में लायेंगे।
7. वैवाहिक विवादों से जुड़े कानूनों को सिविल प्रकृति बनाये जाने और सारे मुकदमें एक-साथ एक ही कोर्ट में सुनवाई करने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
8. कोर्ट के आदेश पर गुजारा भत्ता देने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स में 100 छूट का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
9. सभी कामकाजी नौकरी-पेशा, मध्यवर्गीय व्यक्तियों को इनकम टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
10. रजिस्टर्ड संगठित/असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भत्तों सहित 15,000/- रूपया प्रतिमाह करने का कानून बनाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।

11. पार्टी के निर्वाचित प्रत्येक सांसद के संसदीय क्षेत्र में, कोर्ट के आदेश पर गुजारा भत्ता देने वाले बेरोजगार पुरुषों में से, प्रत्येक वर्ष एक हजार पुरुषों को सांसद निधि से 6 माह की ट्रेनिंग देकर, रोजगार उपलब्ध कराकर, इन्हे सशक्त व समर्थ किया जायेगा।
12. पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होने वाले प्रत्येक सांसद के संसदीय क्षेत्र में न्यायालय में गुजारा भत्ता की मांग की अर्जी लगाने वाली प्रत्येक वर्ष एक हजार महिलाओं को सांसद निधि से 6 माह की ट्रेनिंग देकर, रोजगार उपलब्ध कराकर, इन्हे सशक्त व समर्थ किया जायेगा।
13. **सास-बहू सम्मान पत्र** - सास के प्रस्ताव पर उन बहुओं का सम्मान जिन्होंने ससुराल में रहकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई।
14. वैवाहिक विवादों के चलते माता या पिता से अलग हुए नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए पार्टी के टिकट पर निर्वाचित प्रत्येक सांसद के संसदीय क्षेत्र में **डे-केयर** स्कूलों की व्यवस्था कराई जायेगी।
15. संगठित व असंगठित क्षेत्र में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को **इजी-लोन** की सुविधा व उस लोन के ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट सरकार द्वारा लाये जाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
16. सभी वित विहीन विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 15000/- तय किया जाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।
17. कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव संसद में लाया जायेगा।